पैकेट बंद वस्तुओं का विनियमन

9. मौलाना अबैदुल्ला खान आजमी : क्या **नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार पैकेज में रखी वस्तुओं का विनियमन किस प्रकार करती है ;

(ख) इस सम्बन्ध में क्या-क्या प्रावधान हैं ;

(ग) प्रावधानों के उल्लंघन पर क्या कार्यवाही की जाती है ;

(घ) पिछले एक साल में तथा इस साल किस किस व्यक्ति के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) इस कार्यवाही का क्या परिणाम निकला ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) पैक की गई वस्तुएं बाट तथा माप मानक अधिनियम, 1976 के तहत बनाए गए बाट तथा माप मानक (पैकेज में रखी वस्तुएं) नियम, 1977 के उपबंधों के अनुसार निर्धमित की जाती हैं।

(ख) नियमों के अनुसार खुदरा बिक्री के लिए अभिप्रेत प्रत्येक पैकेज पर वस्तु के नाम, विनिर्माता/पैकर का नाम व पते, शुद्ध मात्रा, पैकिंग अथवा विनिर्माण का महीना व वर्ष तथा पैकेज के विक्रय मूल्य की घोषणा करना अनिवार्य है।

इसके अलावा, एक उपबंध के अनुसार कुछ वस्तुओं को नियमों में यथा विनिर्दिष्ट मानक मात्राओं में पैक करना अपेक्षित है। नियमों में पहले से पैक की गई वस्तु की निबल मात्रा की यथार्थता की जांच करने की भी व्यवस्था है।

(ग) बाट तथा माप मानक अधि नियम, 1976 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार इन उपबंधों का उल्लंघन करने पर उपयुक्त कानूनी कार्यवाही की जाती है।

(घ) और (ङ) राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में नियमों को लागू करने के लिए जिम्मेदार संबंधित प्राधिकारियों से सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

अन्तर्राज्यीय व्यापार पर प्रतिबन्ध

10. मौलाना अबैदुल्ला खान आजमी : क्या **नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता, मामले और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय अन्तर्राज्यीय व्यापार पर कोई प्रतिबन्ध है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या ये प्रतिबंध नई आर्थिक नीति के विरुद्ध है ; और

(घ) यदि हां, तो सरकार इस संबंध में क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) केंद्रीय सरकार ने अंतर्राज्यीय व्यापार पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है।

(ख) से (घ) : प्रश्न नहीं उठता।

Credit Bills of Super Bazar

11. SHRIMATI CHANDRIKA ABHINANDAN JAIN Will the Minister of CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Credit Bills of Super Bazar amounting to

crores of Rupees are not traceable leading to non-realisation of dues;

(d) if so, since when these bills are missing and the circumstances under which these bills got misplaced;

(c) whether any investigation has been made into the working of the accounts branch of the Super Bazar and officials responsible identified and proceeded against so far;

(d) if so, the details thereof; and

(e) the manner in which the dues are proposed to be realised?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION (SHRI KAMALUDDIN AHMED): (a) No, Sir.

(b) to (e) Do not arise.

Distribution of sugar through FPS

12. SHRI S. S. AHLUWALIA: Will the Minister of CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION be pleased to state:

(a) whether it is a fact that distribution of sugar through Fair Price Shops under PDS has been disrupted due to shortage of sugar since past few months;

(b) if so, what are the month-wise details of quantity of sugar distributed through FP Shops during January to June, 1994 vis-a-vis those of the corresponding period in 1993;

(c) whether Government have received complaints from the administration, consumer for a or from the general public of any State/Union Territory regarding shortage in the availability of sugar for distribution in the PDS;

(d) if so, what are the details of such complaints vis-a-vis comments of Government in respect thereto and

(e) what are the arrangements, if any, being made to ensure uninterrupted supply of essential commodities in general and sugar, in particular, during the coming months?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION (SHRI KAMALUDDIN AHMED): (a) No, Sir. However, a few instances of delayed supplies of levy sugar through Fair Price Shops (FPSs) were reported in some parts of the country. The five per cent ad-hoc increase in allocation of levy sugar to States/UTs which was being made with effect from August, 1991 was withdrawn from the month of April, 1994. This has resulted in reduced availability of levy sugar for the PDS since April, 1994.

(b) Central Government makes bulk allocation of levy sugar to States/UTs. Month-wise allocation from January, 1994 to June, 1994 and in the corresponding months of 1993 is given below:—

Month-wise levy sugar allocation to States/UTs

(In lakh tonnes)

Month	1994	1993
January	3.51	3.51
February	3.52	3.51
March	3.50	3.54
April	3.36	3.51
May	3.34	3.51
June	3.36	3.51